

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 मार्च 2018—फाल्गुन 10, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2018

क्र. 8-एफ-1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक क्रमांक 71 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 04-एफ-1-13-2016-अठारह-3, दिनांक 30 जनवरी 2018 से नगरपालिक निगम, इंदौर में नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को पार्षद के रूप में मनोनीत किये गये थे, उक्त जारी अधिसूचना के कॉलम 4 के क्रमांक 6 में त्रुटिपूर्ण नाम अंकित हो गया है, के स्थान पर क्रमांक 4 में निम्नानुसार अंकित संशोधित नाम एवं पता पढ़ा जाये:—

क्र. (1)	नगरपालिक निगम का नाम (2)	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम (3)	संशोधित नाम एवं पता (4)
1	नगरपालिक निगम, इंदौर	श्री सुरेन्द्र कुरवाडे पिता श्री मूलचंद कुरवाडे, वार्ड नं. 27, मकान नं. 561, बजरंग नगर, इंदौर.	श्री सुरेश कुरवाडे पिता श्री मूलचंद कुरवाडे, मकान नं. 561, बजरंग नगर, वार्ड क्र. 27, इंदौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.